[भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, ... सितम्बर, 2025

सा.का.नि. (ई).- निम्नलिखित भर्ती नियमों का प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 (2023 का 25) की धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त मसौदा भर्ती नियमों पर उस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा, जिस तारीख को आधिकारिक राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं;

इन मसौदा भर्ती नियमों पर आपत्तियाँ और सुझाव, यदि कोई हों तो, निदेशक, अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान, टेक्नोलॉजी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016, ईमेल: anrf-director@anrf.gov.in को भेजे जा सकते हैं।

उक्त मसौदा भर्ती नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से तीस दिनों की पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त आपत्तियाँ या सुझाव, यदि कोई हों, पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों को अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान, मुख्य प्रचालन अधिकारी और वित्तीय अधिकारी की भर्ती पद्धति, वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें नियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) 'अधिनियम' से अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 (2023 का 25) अभिप्रेत है;

(ख) "प्रतिष्ठान" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान से है;

(ग) "अनुसूची" से तात्पर्य इन नियमों से संलग्न अनुसूची से है, और

(घ) इसमें प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए निर्दिष्ट हैं।

3. आवेदन - ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

4. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर उक्त अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

5. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं, आदि - उक्त पदों से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं और अन्य बातें पूर्वोक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगी।

6. नियुक्ति प्राधिकारी - कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी होगा।

7. बाह्य चिकित्सा उपचार - (1) अधिकारी स्वयं और परिवार के घोषित सदस्यों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति पाने के पात्र होंगे।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "परिवार" शब्द का वही अर्थ होगा जो केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 में विनिर्दिष्ट है।

(2) वर्ष के दौरान बाह्य चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय या वर्ष की पहली जनवरी को एक माह के वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) जो भी कम हो, तक सीमित होगी:

बशर्ते कि वर्ष के दौरान किसी वेतन वृद्धि या पदोन्नति का प्रभाव 1 जनवरी को निर्धारित सीमा पर नहीं पड़ेगा।

(3) चिकित्सा दावे के समर्थन में चिकित्सा अधिकारी का पर्चा और चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर से विधिवत हस्ताक्षरित और प्रमाणित उपचार और दवाओं की खरीद के मूल कैश मेमो या बिल होने चाहिए।

(4) 1 जनवरी के बाद वर्ष के दौरान ड्यूटी में शामिल होने वाले अधिकारियों के लिए, वार्षिक पात्रता आनुपातिक आधार पर प्रतिबंधित होगी।

(5) आउटडोर उपचार केवल फाउंडेशन द्वारा विधिवत रूप से सूचीबद्ध अधिकृत चिकित्सा परिचारकों से ही प्राप्त किया जा सकेगा।

(6) दीर्घकालिक बीमारियों की स्थिति में, दवाओं और परीक्षणों, यदि कोई हो, की लागत की प्रतिपूर्ति के प्रयोजनार्थ, केंद्रीय सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम, 1944 या केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त या कवर किए गए अस्पतालों का परचा स्वीकार्य होगा।

(7) अत्यधिक लागत वाले उपचार के प्रयोजनार्थ, प्रतिपूर्ति, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना या केंद्रीय सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम, 1944 के प्रावधानों के अनुसार, अलग-अलग मामले के आधार पर फाउंडेशन के अनुमोदन से, विनिर्दिष्ट दरों पर स्वीकार्य होगी।

(8) आपातकाल की स्थिति में कर्मचारी निकटतम अस्पताल में इलाज करा सकता है और व्यय की प्रतिपूर्ति केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए निर्धारित दरों के अनुसार किया जाएगा, यह अस्पताल प्राधिकारियो के आपातकालीन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन है।

8. आंतरिक चिकित्सा उपचार- (1) आंतरिक चिकित्सा उपचार के प्रयोजनों के लिए, अधिकारी इस संबंध में फाउंडेशन द्वारा अधिकृत अस्पतालों में उपचार प्राप्त करने के लिए पात्र होगा और इस प्रयोजन के लिए अस्पताल आवास, नर्सिंग होम सुविधा सहित उपचार की लागत केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के प्रावधानों के अनुसार होगी, जो वेतन मैट्रिक्स में समतुल्य वेतन पाने वाले केंद्रीय सरकार के अधिकारियों पर लागू होती है।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकृत अस्पताल में उपचार वही होगा जो केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के अनुसार चिकित्सा प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुमेय है।

(3) आपातकालीन स्थिति को छोड़कर, उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट प्राधिकृत अस्पतालों में प्राधिकृत चिकित्सा सहायकों की सलाह पर ही उपचार लिया जा सकता है।

9. अनर्हता - कोई भी व्यक्ति,-

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति/पत्नी जीवित है, या

(ख) जिसने अपने पति/पत्नी जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से पृथक कर सकती है।

10. आवेदनों पर कार्रवाई : एएनआरएफ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा विधिवत गठित एक स्क्रीनिंग समिति, फाउंडेशन द्वारा प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन करेगी और आगे की कार्रवाई के लिए उम्मीदवारों की नौकरी और सीवी की आवश्यकताओं के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट कर सकती है।

11. चयन समिति - अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट मुख्य परिचालन अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी के पदों पर भर्ती या चयन हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को संस्तुति करने हेतु चयन समिति, अनुसूची के कॉलम (12) में विनिर्दिष्ट अनुसार होगी।

12. अवशिष्ट उपबंध - अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों को धारण करने वाले अधिकारी की सेवा की शर्तें, जिनके लिए इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध विनिर्दिष्ट नहीं है, वेतन मैट्रिक्स में समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले केंद्रीय सरकार के अधिकारियों पर तत्समय लागू नियमों और आदेशों द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

13. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार दिए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

14. **शिथिलन की शक्ति**: जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिखित में दर्ज करके, आदेश द्वारा, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स स्तर	चयन पद है या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.मुख्य प्रचालन अधिकारी	1* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स स्तर-15 (रु. 1,82,200 - 2,24,100)	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ।	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएँ पदोन्नत होने पर लागू होंगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा, पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा और विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	अल्पकालिक अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
(11)
केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या अर्ध सरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठन के अधिकारी, - वेतन मैट्रिक्स स्तर-14 (1,44,200 - 2,18,200 रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। अनिवार्य योग्यताएँ: (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी या संबद्ध विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि; और (ग) उपर्युक्त खंड (ख) में विनिर्दिष्ट योग्यताएँ धारक, अनुसंधान प्रशासन, सरकारी कार्यक्रमों, नवाचार प्रबंधन, सार्वजनिक क्षेत्र के संचालन या मिशन-संचालित पहलों से संबंधित भूमिकाओं में पंद्रह वर्ष का अनुभव, जिसमें निम्नलिखित में से एक या अधिक क्षेत्रों में विशिष्ट अनुभव शामिल हो, अर्थात्:- (i) विज्ञान, प्रौद्योगिकी या सार्वजनिक सेवा में बड़े पैमाने के कार्यक्रमों का प्रबंधन, (ii) अनुसंधान, नवाचार या प्रौद्योगिकी-संचालित पहल का समर्थन, और (iii) अंतर-एजेंसी समन्वय या सहयोगी सार्वजनिक-निजी परियोजनाओं को सुकर बनाना; (घ) सुदृढ़ संप्रेषण और समन्वय कौशल, सरकार, शिक्षा और उद्योग में विविध हितधारकों के साथ काम करने की क्षमता। वांछनीय योग्यताएं: (ड़) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि। टिप्पणी 1.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें इस नियुक्ति से ठीक पहले केंद्र सरकार या राज्य सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 2.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(12)	(13)
चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:- (1) फाउंडेशन की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष - अध्यक्ष, (2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव - सदस्य, (3) फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी - सदस्य।	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. मुख्य वित्तीय अधिकारी	1* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-14 (रु. 1,44,200 - 2,18,200)	लागू नहीं	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	अल्पकालिक अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति

(11)
केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या अर्ध सरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठन के अधिकारी, - (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या

(ii) वेतन मैट्रिक्स में लेवल-13ए (1,31,100 - 2,16,600 रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; या

(iii) वेतन मैट्रिक्स में लेवल-13 (1,23,100 - 2,15,900 रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

अनिवार्य योग्यताएँ:-
(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य या वित्त में स्नातक की डिग्री; और

वांछनीय योग्यताएँ:-
(ग) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वित्त, लेखा, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन या संबद्ध विषयों में स्नातकोत्तर की उपाधि; और

(घ) उपर्युक्त खंड (ख) में निर्दिष्ट योग्यताएँ प्राप्त करने के बाद, वित्त, लेखा और प्रशासन में बारह वर्ष का अनुभव, वितीय कानूनों, कराधान, लेखा मानकों और विनियामक ढाँचों में ज्ञान और अनुभव।
टिप्पणी 1.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 2.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:- (1) फाउंडेशन की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष - अध्यक्ष, (2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव - सदस्य, (3) फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी - सदस्य।	लागू नहीं

[फा. सं. आरआर/ऐऐनआरएफ/सीएफओ, सीओओ एवं ऐओ/2025]

(सुनील कुमार)

अपर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-26962216